समाहरणालय, गोपालगंज

(जिला योजना शाखा)

आदेश

प्रधान सचिव योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3392 दिनांक 10.11.2011 के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का दिनांक 04.02.2012 को माननीय मंत्री–सह–अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजि जिलास्तरीय चयन समिति की बैठक में प्रखंडवार/नगरनिकायवार अनुमोदित योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर कार्य अभि0 स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल, गोपालगंज के द्वारा योजनावार प्राक्कलित राशि पर तकनिकी स्वीकृति प्रदान की गई है एवं उनके पत्रांक 789 दिनांक 29.10.12 के द्वारा पर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। कार्य0अभि0 स्थानीय क्षेत्र अभि0, संगठन, गोपालगंज के द्वारा प्रदत तकनिकी स्वीकृति की राशि पर अंचल अधिकारी से जमीन सरकारी होने से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निम्नलिखि योजनाओं में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0 सं0	प्रखंड का नाम	स्वीकृति योजनाओं का नाम	तकनिकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5
1	उचकागॉव	प्रखंड उचकागॉव के ग्राम महैचा के ग्राम वंकीखाल मदरसा में पुस्ताकालय एवं फर्नीचर निर्माण कार्य खाता नं0 23 ,11 खेसरा नं0 326, 327	11,86,600.00	11,86,600.00
2	कुचायकोट	प्रखंड कुचायकोट के ग्राम बखरी के ग्राम दाउदा के धोबी टोला वस्ती के तालाब में धोबी घाट निर्माण कार्य	918000.00	918000.00
3	कुचायकोट	प्रखंड कुचायकोट के ग्राम पंचायत वखरी के सरकारी तालाब में धोवी घाट का निर्माण कार्य।	917900.00	917900.00
4	कुचायकोट	प्रखंड कुचायकोट के ग्राम पंचायत बखरी के ग्राम दाउदा के परमा सिंह (ब्रहमा सिंह) के घर से वीरेन्द्र कुमार के घर तक जानेवाली पथ का पी0सी0सी0 एवं नाला निर्माण कार्य	2037000.00	2037000.00
5	मांझा	प्रखंड पंचायत गौसिया के ग्राम धामापाकड में प्रधानमंत्री सडक से आस महंमद के घर के पास से रतीकान्त साह के घर तक जाने वाली पथ का पी0सी0सी0 एवं नाला निर्माण कार्य।	4098800.00	4098800.00
		कुल योग :–	91,58,300.00	91,58,300.00

कार्यकारी एजेन्सी का नाम :– इन स्वीकृति योजनाओं का कार्य निविदा के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज द्वारा संमादित किया जायेगा।

कार्यान्वयन की शर्तो

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संतुष्ट हो लेगें कि स्थल विवादग्रस्त नहीं है तथा किसी की निजी जमीन योजना स्थल के बीच में नहीं पडती है। योजना कार्य के किसी भी वजह से अवरूध होने की स्थिति में सारी जबाबदेही आपकी होगी।

2. सरकारी के उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 981 दिनांक 17.05.05 में निहित निर्देश के आलोक में स्वीकृति योजनाओं को लोक निर्माण संहिता के प्रावधानो के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराया जाय।
3. योजनाओं के प्राक्कलन का पुररीक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
4. विमुक्ति राशि का 60 प्रतिशत राशि व्यय होने के पश्चात् मापी पुस्तिका की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ विहित प्रपत्र में मांगपत्र कार्यालय में उपलब्ध करायी जाय, ताकि द्वितीय किश्त की राशि की विमुक्ति हेतु वांछित कार्रवाई की जा सके।

5. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना–कार्य सम्पादित किया जाय।
6. योजना के कार्य की गुणवता में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर सारी जबाबदेही आपकी होगी।
7. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित करें।
8. योजना स्थल पर स्वीकृति प्राक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक है।
9. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटो विडियो/विडियो ग्राफी योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजा जाए, ताकि इन नवसृजित योजनाओं का भविष्य में रख रखाव हेतु संबंधित प्रशासी विभाग को स्थानांतरित किया जा सके।
11. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।
12. योजना कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित अंचलाधिकारी से भूमि संबंधी स्पष्ट प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लें। यदि योजना स्थल में किसी की रैयती भूमि अवस्थित हो, तो भू–दाता के द्वारा उसे महामहिम राज्यपाल के नाम से निबंधित करने के पश्चात् ही योजना कार्य प्रारंभ करें। अन्यथा किसी भी प्रकार अनियमितता की सारी जबाबदेही संबंधित कार्य एजेन्सी की होगी।
13. प्रत्येक माह के 2री तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय, गोपालगंज को भेजा जाए।

जिला योजना पदाधिकारी,
गोपालगंज।

ज्ञापांक 621 /, दिनांक 12-11-12 /

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त मद में प्राप्त आवंटन से योजना का नियमानुसार कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई टी० मनेजर एन० आई० सी० गोपालगंज को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना सूनिश्चित करें।

जिला योजना पदाधिकारी,
गोपालगंज।